Tele 0364- 2223929
Fax 0364-2504526

No. SHG/2/NOTIFICATION/2016/5107
Cantonment Board,
Post Box No.83,
Shillong (Meghalaya) 793001.

Dated the 22 July, 2016

PUBLIC NOTICE

The Draft Rules regarding the Transfer of Property in Cantonments (Form of Notice and manner of giving such notice) Rules 2016 (Published vide Government of India, Ministry of Defence Notification S.R.O 07 (E) dated 04.07.2016) both in English/Hindi version is hereby made available at the office of the Cantonment Board Shillong for the general public of Shillong Cantonment and the same is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby: and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director (Land and Cantonment) Ministry of Defence, Sena Bhawan, New Delhi, 110011.

The said Draft Rules is also available at www.egazette.nic.in and Cantonment Board Shillong's website- www.cbshillong.org.in .

Sd/-

Vishwas Sohal, IDES
Chief Executive Officer
Shillong Cantonment Board

Distribution:-

1. Cantt. Board Office Notice Board
2. Cantt. Public Notice Board at Cantt. Bazar
3. Cantt. Public Notice Board at J.R.G Hospital
4. Cantt. Public Notice Board at Cantt. Board School
5. Cantt. Board Community Hall , Jhalupara
6. SCBVTC Notice Board
7. G.E Shillong Notice Board
8. Station Cell Notice Board

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2016/आ ढ़ 14, 1938
No. 06] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2016/ ASADHA 14, 1938

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2016

का.नि.आ. 07(अ).—निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 81 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 346 की उपधारा (2) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है और छावनियों में संपत्ति के अंतरण (सूचना प्ररूप और ऐसी सूचना देने की रीति) नियम, 1985, को अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है उक्त अधिनियम की धारा 346 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से प्रकाशित राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई हैं को या साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कोई आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, को निदेशक (भूमि और छावनी) रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली – 110011 को लिखित में भेजा जा सकेगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनियों में संपत्ति के अंतरण (सूचना प्रारूप और ऐसी सूचना देने की रीति) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा कोई अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्ररूप' से इन नियमों के संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

3. हक के अंतरण की सूचनाः

(1) अधिनियम की धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन दिए जाने वाली अपेक्षित हक के अंतरण से संबंधित सूचना, यथास्थिति, या तो प्ररूप 'क' में होगी या प्ररूप 'ख' में होगा, जैसा मामला हो, और धारा 81 की उपधारा (2) के अधीन दी जाने वाली ऐसी अपेक्षित सूचना प्ररूप 'ग' में होगी तथा सूचना में उक्त प्ररूप की अपेक्षानुसार सभी विशिष्टियाँ स्पष्ट और सही रूप में दिया जाएगा।

(2) इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि वह आवश्यक समझें, अंतरण की कोई लिखत, यदि कोई है, अथवा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, 1908 का 16, की धारा 57 के अधीन अभिप्राप्त उसकी प्रतिलिपि अथवा किसी मृत व्यक्ति के हक के अंतरण की स्थिति में ऐसे अंतरण का साक्ष्य के रूप में दस्तावेज को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

4. कर संदायः जब तक सूचना की तारीख को देय सारे संपत्ति कर का पूरी तरह संदाय नहीं कर दिया जाता तब तक इस अधिनियम की धारा 81 के अधीन दी गई सूचना को विधिमान्य नहीं माना जाएगा।

5. व्यावृतिः छावनी परिषद द्वारा अनुरक्षित निर्धारण सूची में किया गया अंतरण इस अधिनियम की धारा 81 के अधीन उपलब्ध अधिकारों से अधिक प्रदत्त नहीं करेगा।

6. सूचना तामील करने की रीतिः

(1) इन नियमों के अधीन दी जाने वाली प्रत्येक सूचना इस प्रकार दी जाएगी या पेश किया जाएगाः-

(क) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके प्राधिकृत कर्मचारी को सूचना देकर या पेश करके;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संबोधित देय पावती सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा।

(2) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके प्राधिकृत कर्मचारी को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विहित किए ऐसे प्ररूप में देय पावती सहित दिया जाएगा अथवा पेश किया जाएगा।

[फा. सं. 14(2)2016/डी (क्यू एंड सी]

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव

प्ररूप – क

(नियम 3 देखिए)

(जब अंतरण लिखत द्वारा किया गया हो तब दी जाने वाली अंतरण सूचना का प्ररूप)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
छावनी परिषद,
.... छावनी

महोदय,

मैं, ..., संपत्ति के निम्नलिखित अंतरण, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित, की सूचना देता हूं / देती हूं:-

संपत्ति का विवरण

सूचना की तारीख	लिखत की तारीख	छावनी परिषद के अभिलेखों में विक्रेता या समनुदेशक का नाम	क्रेता या समनुदेशिती का नाम	प्रतिफल की रकम	इसके अंतर्गत क्या है	अवस्थान	निर्धारण सूची में संख्यांक	भूमि का आकार	सीमाएं	यदि लिखत को रजिस्टर किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण की तारीख	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

पिछले बिल के भुगतान की तारीख :

पिछले बिल की अवधि :

हस्ताक्षर (क.ख.) ....

प्ररूप - ख

(नियम 3 देखिए)

(जब अंतरण लिखत से अन्यथा किया गया हो तब दी जाने वाली सूचना का प्ररूप)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
छावनी परिषद,
.... छावनी

महोदय,

मैं, ..., संपत्ति के निम्नलिखित अंतरण, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित, की सूचना देता हूं / देती हूं:-

संपत्ति का विवरण

सूचना की तारीख	वह नाम, जिस नाम से इस समय संपत्ति छावनी परिषद के अभिलेखों में दर्ज है	इसे किसके नाम अंतरित किया जाना है और वह तारीख जिसको अंतरण प्रभावी हुआ	इसके अंतर्गत क्या-क्या है	अवस्थान	कर निर्धारण सूची में संख्यांक	भूमि का आकार	सीमाएं	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

पिछले बिल के भुगतान की तारीख :

पिछले बिल की अवधि :

हस्ताक्षर (क.ख.) ....

प्ररूप – ग

(नियम 3 देखिए)

(जब अंतरण विधि के अनुसार हुआ हो तब दी जाने वाली अंतरण सूचना का प्ररूप)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

छावनी परिषद,

.... छावनी

महोदय,

मैं, ..., संपत्ति के निम्नलिखित अंतरण, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 81 की उपधारा (2) द्वारा यथा-अपेक्षित, की सूचना देता हूं / देती हूं:-

संपत्ति का विवरण

सूचना की तारीख	वह नाम जिस नाम में इस समय संपत्ति छावनी परिषद के अभिलेखों में दर्ज है और उसकी मृत्यु की तारीख	इसे किसके नाम अंतरित किया जाना है और मृतक से उसका संबंध	इसके अंतर्गत क्या क्या है	अवस्थान	कर निर्धारण सूची में संख्यांक	भूमि का आकार	सीमाएं	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

पिछले बिल के भुगतान की तारीख :

पिछले बिल की अवधि :

हस्ताक्षर (क.ख.) ....

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 4th July, 2016

S.R.O. 07(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (l) of sub-section (2) of section 346 read with section (3) of section 81 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) and in supersession of the transfer of property in Cantonments (Form of Notice and manner of giving such Notice), Rules, 1985 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is hereby published as required by the sub-section (1) of section 346 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director (Land and Cantonment) Ministry of Defence, Sena Bhawan, New Delhi, 110011.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement. –**

(1) These rules may be called the Transfer of Property in Cantonments (Form of notice and manner of giving such notice) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) 'Act' means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

(b) 'Form' means a Form annexed to these rules.

3. **Notice of transfer of title -**

(1) The notice regarding transfer of title required to be given under sub-section (1) of Section 81 of the Act shall be either in the Form 'A' or Form 'B', as the case may be, and such notice required to be given under sub-section (2) of the Section 81 shall be in Form 'C' and the notice shall state clearly and correctly all the particulars required by the said form.

(2) On receipt of any such notice, the Chief Executive Officer may, if he thinks it necessary, require the production of an instrument of transfer, if any, or of a copy thereof obtained under section 57 of the Indian Registration Act, 1908, - of 1908 or, in case of transfer of the title of a deceased person any document constituting evidence of such transfer.

4. **Payment of tax.-** Unless all the property taxes due at the date of the notice have been fully paid, no notice shall be deemed to be valid given under section 81 of the Act.

5. **Saving. -** The transfer effected in assessment list maintained by the Cantonment Board shall not confer more rights than those available under section 81 of the Act.

6. **Manner of service of the notice.-**

(1) Every notice under these rules shall be given or presented.-

(a) by giving or tendering the notice to the Chief Executive Officer or his authorised servant of the Board;
(b) by registered post with acknowledgement due addressed to the Chief Executive Officer.

(2) A notice to the Chief Executive Officer or his authorised servant of the Board shall be given, or tendered with due acknowledgement in such form as prescribed by the Chief Executive Officer.

[File No. 14(2)2016/D(Q&C)]

MANISH THAKUR, Jt.Secy.

Form-A
(See Rule 3)
(Form of notice of transfer to be given when the transfer has been effected by instrument)

To,

The Chief Executive Officer,
Cantonment Board,
.... Cantonment

Sir,

I,..., hereby give notice, as required by sub-section(1) of section 81 of the Cantonments Act, 2006, of the following transfer of property:-

Description of the Property

Date of notice	Date of instru-ment	Name of vendor or assigner in Canton-ment Board Records	Name of purchaser or assignee	Amount of considera-tion	Of what it consist	Situation	Number in assess-ment list	Dimen-sions of land	Bound-aries	If instrument has been registered, date of registration	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Date of payment of the last bill:
Period of the last bill:

Signed (A.B.) ....

Form-B
(See Rule 3)
(Form of notice of transfer to be given when the transfer has taken place other than by instrument)

To,

The Chief Executive Officer,
Cantonment Board,
.... Cantonment

Sir,

I,.., hereby give notice, as required by sub-section(1) of section 81 of the Cantonments Act, 2006, of the following transfer of property:-

Description of the Property

Date of notice	Name in which the property is at present entered in the Cantonment Board Records	To whose name it is to be transferred and the date on which transfer is effected	Of what it consist	Situation	Number in assessment list	Dimensions of land	Boundaries	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Date of payment of the last bill:
Period of the last bill:

Signed (A.B.) ....

Form-C

(See Rule 3)

(Form of notice of transfer to be given when the transfer has taken place by devolution)

To,

The Chief Executive Officer,
Cantonment Board,
.... Cantonment

Sir,

I,.., hereby give notice, as required by sub-section(2) of section 81 of the Cantonments Act, 2006, of the following transfer of property:-

Description of the Property

Date of notice	Name in which the property is at present entered in the Cantonment Board Records and his/her date of death	To whose name it is to be transferred and his/her relation with the deceased	Of what it consists	Situation	Number in assessment list	Dimensions of land	Boundaries	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Date of payment of the last bill:
Period of the last bill:

Signed (A.B.) ....

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.